



Date-23.08.2026

कार्यालय आदेश

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक 01/MI-01/2026-02, दिनांक 16.08.2026 द्वारा राज्य के द्वारा तथा मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त निर्देश के अनुपालन पत्रांक Estb/129/2024/Estb-939, दिनांक 21.08.2026 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की शिकायतों/समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु दिनांक 25 अगस्त, 2026 को "विद्यार्थी सहयोग शिविर" आयोजित किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

महाविद्यालयों में "विद्यार्थी सहयोग शिविर" का सफल, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश निर्गत किया जाता है कि :-

1. महाविद्यालयों के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी दिनांक 25.08.2026 को किसी भी प्रकार के अवकाश पर नहीं रहेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करते हुए महाविद्यालयों में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
2. वर्तमान परिस्थितियों में दिनांक 25.08.2026 तक किसी भी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी को आकस्मिक, अर्जित अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति केवल कुलपति महोदय के अनुमोदन से ही दी जाएगी।
3. सभी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों की शिकायतों, समस्याओं एवं आवेदनों के निपटारे में किसी प्रकार की शिथिलता न हो तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
4. संबंधित शाखा प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर से संबंधित अभिलेख, आवेदन-पत्र, शिकायत पंजी, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य व्यवस्थाएँ समय से तैयार रहें तथा विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
5. महाविद्यालयों के सभी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी समयबद्ध, उत्तरदायी एवं केन्द्रित कार्यप्रणाली अपनाते हुए उक्त शिविर को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर आदेश की अवहेलना अथवा अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य महोदय के आदेशानुसार।